

प्रेषक,

सुभाष चन्द्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तांतरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

देहरादून: दिनांक: 18 अक्टूबर

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

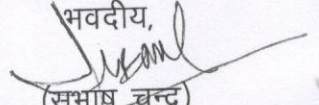
विषय: जनपद अल्मोड़ा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खीड़ा मालूधार से चुलो
लिंक के मोटर मार्ग निर्माण हेतु 0.753 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य
विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-905/FP/UK/ROAD/37491/2018 दिनांक 28
2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद अ
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खीड़ा मालूधार से चुलेरियासिम लिंक के मोटर मार्ग
हेतु 0.753 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन व
सैद्धान्तिक स्वीकृति, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में निर्गत मार्ग
के प्रस्तर 4.3 में दिये गये दिशा-निर्देश के क्रम में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार व
करते हुए अद्योलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर
वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को
करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/
अंतर्गत आई०ए०सं०-566 एवं भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक
2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित र
की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि ए
की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की ज
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं० 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02
तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति
निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं०-एस०बी
कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी०जी०ओ० काम्पलैक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति,
गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपाल
(जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन०पी०वी०, क्षतिपूरक
प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिय
उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस
भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक प्र
प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।

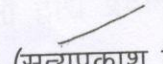
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
8. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

(सुभाष चन्द्र)
अपर सचिव।

संख्या: — (1)/X-4-19/1(127)/2019, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
6. अधिशासी अभियंता, पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0, द्वारहाट।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश सिंह)
उप सचिव।